

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 83/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002
बैद फिनसर्व लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय द्वितीय तल, 1 तारा नगर, अजमेर रोड़,
जयपुर, राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी दिनेश शर्मा

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र हरफूल सिंह, पता—आजाद नगर, वार्ड नम्बर 40, नवलगढ रोड़, सीकर, राजस्थान—332001
2. अमित कुमार पुत्र हरफूल, पता—आजाद नगर, वार्ड नम्बर 43, सीकर, राजस्थान—332001
3. बिमला देवी पत्नी हरफूल, पता—आजाद नगर, वार्ड नम्बर 40, नवलगढ रोड़, सीकर, राजस्थान—332001
4. सरस्वती स्वामी पुत्री सुरेश कुमार स्वामी, पता— वार्ड नम्बर 44, झुन्झुनू, राजस्थान—333001
5. राकेश कुमार पुत्र बेगाराम, पता—वार्ड नम्बर 09, भदवासी, सीकर, राजस्थान—332024

—अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांक: 23 दिसम्बर, 2024

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः अशोक कुमार पुत्र हरफूल सिंह, अमित कुमार पुत्र हरफूल, बिमला देवी पत्नी हरफूल, सरस्वती स्वामी पुत्री सुरेश कुमार स्वामी एवं राकेश कुमार पुत्र बेगाराम की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी अशोक कुमार पुत्र हरफूल सिंह के स्वामित्व की अचल सम्पति प्लॉट नम्बर 305, खसरा नम्बर 139,

२


(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



ग्राम समर्थपुरा, जिला सीकर, राजस्थान में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 180.05 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में अन्य प्लाट, पश्चिम दिशा में रास्ता 20 फीट चौड़ा, उत्तर दिशा में प्लाट नम्बर 304 एवं दक्षिण दिशा में अन्य प्लाट स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल राशि 31,00,000/- रुपये (अक्षरे रुपये इकतीस लाख) की ऋण स्वीकृत कर राशि 26,73,000/- रुपये (अक्षरे रुपये छब्बीस लाख तिहत्तर हजार) राशि वितरित कर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 27.05.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की ओर से वकील श्री योगेश पुरी गोस्वामी ने उपस्थित होकर वकालतनामा एवं एक आवेदन पेश किया है परन्तु बकाया ऋण राशि भुगतान से सम्बन्धित कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 27.05.2024 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।




 (मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 क्रमशः **अशोक कुमार पुत्र हरफूल सिंह, अमित कुमार पुत्र हरफूल, बिमला देवी पत्नी हरफूल, सरस्वती स्वामी पुत्री सुरेश कुमार स्वामी एवं राकेश कुमार पुत्र बेगाराम** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **अशोक कुमार पुत्र हरफूल सिंह** के स्वामित्व की **अचल सम्पति प्लाट नम्बर 305, खसरा नम्बर 139, ग्राम समर्थपुरा, जिला सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 180.05 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में अन्य प्लाट, पश्चिम दिशा में रास्ता 20 फीट चौड़ा, उत्तर दिशा में प्लाट नम्बर 304 एवं दक्षिण दिशा में अन्य प्लाट स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **23 दिसम्बर, 2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर